राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 70(4)ग्रावि/नरेगा/प्रशि./विविध/2010–11 जयपुर, दिनांकः 21 APR 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला/पंचायत समिति/कलस्टर/ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संशोधित वित्तीय मापदण्ड के संबंध में।
सन्दर्भः विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 23.05.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.05.2011 के अधिक्रमण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला/पंचायत समिति/कलस्टर / ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संशोधित वित्तीय मापदण्डों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। तदनुसार प्रशिक्षणों का आयोजन सुनिश्चित करावें:–

1. **आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्तीय मापदण्ड :–**

क्र. सं.	शीर्षक	वित्तीय मापदण्ड (रूपयों में)		
		जिला स्तरीय प्रशिक्षण	पंचायत समिति स्तरीय प्रशिक्षण	कलस्टर/ ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण
1	प्रशिक्षण सामग्री – बैग/फोल्डर/पैन/ स्लीप पैड/फोटोकॉपी (एक मुश्त प्रति संम्भागी)	100/–रू.	75/–रू.	75/–रू.
2	प्रशिक्षणार्थियों का आवास किराया (प्रति दिन प्रति संभागी)	100/–रू.	80/–रू.	50/–रू.
3	भोजन एवं चाय, पानी (प्रति दिन प्रति संभागी)	250/–रू.	170/–रू.	170/–रू.
4	प्रशिक्षकों का मानदेय प्रति सत्र (अधिकतम 4 सत्र)	350/–रू.	350/–रू.	350/–रू.
5	प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा किराया आने जाने का (नॉन एसी बस/रेल)	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया
6	फील्ड विजिट प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक होने पर (बस/वाहन) एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम	5,000/–रू.	3,000/–रू.	2,000/–रू.
7	प्रशासनिक/विविध व्यय (एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम)	1,500/–रू.	1,000/–रू.	1,000/–रू.

2. **गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्तीय मापदण्ड :–**

क्र. सं.	शीर्षक	वित्तीय मापदण्ड (रूपयों में)		
		जिला स्तरीय प्रशिक्षण	पंचायत समिति स्तरीय प्रशिक्षण	कलस्टर/ ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण
1	प्रशिक्षण सामग्री – बैग/फोल्डर/पैन/ स्लीप पैड/फोटोकॉपी (एक मुश्त प्रति संम्भागी)	100/–रू.	75/–रू.	75/–रू.
2	वर्किंग लंच एवं चाय, पानी (प्रति दिन प्रति संभागी)	150/–रू.	100/–रू.	100/–रू.
3	प्रशिक्षकों का मानदेय प्रति सत्र (अधिकतम 4 सत्र)	350/–रू.	350/–रू.	350/–रू.
4	प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा किराया आने जाने का (नॉन एसी बस/रेल)	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया	वास्तविक किराया
5	फील्ड विजिट प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक होने पर (बस/वाहन) एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम	5,000/–रू.	3,000/–रू.	2,000/–रू.
6	प्रशासनिक/विविध व्यय (एक मुश्त प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम)	1,500/–रू.	1,000/–रू.	1,000/–रू

3. अन्य शर्तें :–

1. प्रशिक्षण व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक मद सीमा में से वहन किया जावेगा।
2. **प्रशिक्षण के लिए उपरोक्त निर्धारित राशि अधिकतम सीमा के रूप में है। यदि आयोजन कर्ता द्वारा कम राशि व्यय की जाती है अर्थात व्यय वाउचर कम राशि के है तो कम राशि ही स्वीकार्य होगी।**
3. प्रशिक्षक/प्रशिक्षणार्थी राजकीय सेवा/योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिक/कार्यकारी संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, पदाधिकारी होने पर अपना यात्रा भत्ता बिल नियमानुसार अपने कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इनको यात्रा किराये का भुगतान प्रशिक्षण कार्यकम के समय नहीं किया जायेगा। यदि प्रशिक्षक प्राइवेट एसआरपी/डीआरपी/बीआरपी है तो प्रशिक्षकों को वास्तविक (नॉन एसी बस/रेल) किराया आने–जाने का देय होगा।
4. प्रशिक्षण में आवास एवं भोजन व्यवस्था के लिए संभागीय संख्या में अधिकतम 5 अतिरिक्त व्यक्तियों (जिसमें प्रशिक्षक एवं आयोजनकर्ता सम्मिलित) का ही व्यय मान्य होगा।
5. प्रशिक्षक (ट्रेनर) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग का कार्यरत अधिकारी/कार्मिक होने पर प्रशिक्षक मानदेय देय नहीं होगा।
6. यदि किसी विशेष परिस्थिति में फिल्ड विजिट तथा प्रशासनिक/विविध व्ययों से अधिक व्यय किया जाना आवश्यक हो तो जिला कलक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें परियोजना अधिकारी(लेखा) को भी सदस्य बनाया जाएगा, द्वारा निर्णय लिया जाकर आवश्यक व्यय किया जा सकेगा, लेकिन इसकी सूचना मुख्यालय को भिजवाया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

21/4/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
2. अति0जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्य0 अधिकारी, जिला परिषद् समस्त
3. लेखाशाखा मुख्यालय, ईजीएस।

21/4/15

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस